न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 06/2016

रीता कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश

30.8.18

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के वाद संख्या– 46/2013–14 में दिनांक– 17.07.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 3226 दिनांक– 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका– 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि दाखिल वाद सोनवर्षा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत सहसौल के ऑगनवाड़ी केन्द्र सहसौल दक्षिण केन्द्र कोड संख्या– 173 वार्ड नं0–6 पर ऑगनवाड़ी सेविका चयन हेतु आवेदन दाखिल की थी, जिसके मुताविक मेधा सूची बनाया गया। मेधा सूची में अधिकतम 67.85 प्रतिशत अंक प्राप्त होने के कारण अपीलार्थी रीता कुमारी का मेधा सूची क्रमांक– 1 पर नाम अंकित किया गया। मेधा सूची क्रमांक– 3 पर जूली कुमारी वो मेधा सूची क्रमांक– 5 पर प्रतिवादी नं0–1 पूनम कुमारी का नाम अंकित किया गया। उपरोक्त तीनों वार्ड नं0– 6 पोषक क्षेत्र की है, जबकि मेधा सूची क्रमांक– 2, 4 एवं 6 पोषक क्षेत्र के बाहर की हैं। दिनांक– 12.11.2013 को आंगनवाड़ी केन्द्र के सेविका चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया तथ सर्वप्रथम आम सभा द्वारा संधारित सव अनुमोदित मैपिंग पंजी प्रदर्शित किया गया। उक्त केन्द्र का वर्ग बाहुल्य अल्पसंख्यक घोषित किया गया। चूँकि वर्ग बाहुल्य से एक भी अभ्यर्थी नहीं थी। इसलिए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी रीता कुमारी का सेविका पद पर सर्वसम्मति से चयन हेतु निर्णय हुआ। समाज कल्याण विभाग, पटना के पत्रांक– 423 दिनांक– 03.02.2012 की कंडिका संख्या– 2 के मार्गदर्शिका के प्रावधान 4.2 में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर बाहुल्य वर्ग में से अर्हता प्राप्त कोई भी उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उपस्थिति में अन्य वर्गो अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्क, सामान्य वरीयता क्रम देते हुए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से सेविका का चयन मेधा सूची निर्धारित करते हुए किया जायेगा। इस आधार पर उक्त प्रावधान के आलोक में अपीलकर्त्ता को चयन से बंचित नहीं किया जा सकता हैं। मेधा सूची के क्रमांक– 3 पर जूली कुमारी द्वारा आपत्ति दर्ज कराया गया कि अपीलार्थी रीता कुमारी के रिश्तेदार जन प्रतिनिधि है जबकि अपीलकर्त्ता का कोई अपना नजदीकी आदमी जन प्रतिनिधि नहीं हैं। जहॉ तक अपीलकर्त्ता का सास राधा देवी, पति– महेन्द्र राम वार्ड नं0– 6 की वार्ड सदस्या थी, जो आम सभा दिनांक– 02.11.2013 के पूर्व हीं दिनांक– 25.07.2013 को अपना खराब स्वास्थ के कारण इस्तीफा दे चुकी थी तथा उनका इस्तीफा भी काफी पूर्व स्वीकृत हो चुका था। मार्गदर्शिका का प्रावधान 4.8 में स्पष्ट उल्लेख हैं कि अभ्यर्थी के संबंधी अथवा अभ्यर्थी के जन प्रतिनिधि के पद से आम सभा में लिए गये अंतिम निर्णय के उपरान्त 15 दिनों भीतर सक्ष प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करना मान्य होगा। इसके पश्चात हीं चयन पत्र निर्गत किया जायेगा। दूसरा अन्य रिश्तेदार महिला जन प्रतिनिधि तत्कालीन मुखिया किरण देवी के पति किशोर राम एवं अपीलकर्त्ता के ससुर महेन्द्र राम का आपसे में सहोदर भाई होने का प्रश्न है तो अपीलकर्त्ता के ससुर महेन्द्र राम और मुखिया किरण देवी के पति नन्द किशोर राम आपस में सहोदर भाई नहीं है। क्योंकि, सहोदर भाई का अर्थ होता है एक मॉ का संतान होना जबकि, तथ्य इस के विपरित हैं। महेन्द्र राम ओर नन्द किशोर राम एक मॉ का संतान नहीं हे। ग्राम कचहरी सहसौल के उप सरपंच शंभु प्रसाद केसरी के द्वारा दिनांक– 23.11.2013 के वंशवृक्ष से स्पष्ट होता हे कि अपीलकर्त्ता रीता कुमारी के ससुर महेन्द्र राम उसकी मॉ का नाम गिरजा देवी, पति सुखदेव राम है ओर महिला जन प्रतिनिधि मुखिया किरण देवी के पति नन्द किशोर राम की मॉ का नाम जगरानी देवी पति सुखदेव राम हैं। इस प्रकार अपीलकर्त्ता के ससुर महेन्द्र राम वो नन्द किशोर राम सहोदर भाई नहीं हे। इस संबंध में रीता कुमारी द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया है। मार्गदर्शिका का प्रावधान 4.8 में उल्लेख किया गया है कि सिंबंधित जिले के पुरूष जन प्रतिनिधियों की पत्नी, बहु अन्य रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होगी। रिश्तेदार से अर्थ हैं– मॉ (सौतेला) दत्तक पुत्र एवं पुत्री, भाभी (अर्थात बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी) तथा इसके साथ महिला जन प्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहु और ननद। जन प्रतिनिधि की पुत्री एवं बहन संबंधित प्रखण्ड में सेविका/ सहायिका पद पर चयन हेतु अयोग्य होगा। अतः उक्त

30.8.18

प्रावधान के आधार पर अपीलकर्त्ता को चयन से बंचित नहीं किया जा सकता हें। प्रतिवादी संख्या– 1 ने पत्रांक– 6989 दिनांक– 19.12.2013 का जो हवाला दिया है वह पुरूष जन प्रतिनिधि महिला रिश्तेदार हैं।

अपीलार्थी ने कहा है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवष्र निजी स्वार्थ में पड़कर नियम की गलत व्याख्या करके अपीलार्थी के आवेदन कर रद्द कर नियम के विरूद्ध अयोग्य अभ्यर्थी पूनम कुमारी का चयन कर लिया हैं और अपीलकर्त्ता को चयन से बंचित किया गया है, जो महादलित वर्ग के अपीलकर्त्ता के अधिकारों का हनन किया गया हैं। अन्त में वर्णित केन्द्र पर आंगनवाड़ी सेविका के पद पर चयन करवाने की याचना की हैं।

प्रतिपक्षी का कहना है कि प्रस्तुत अपील वाद पत्र गलत मानसिकता से विपक्षी के सही चयन को बाधित व अवरूद्ध करने के उद्धेश्य मात्र से दाखिल किया गया है, जो कानूनन चलने लायक नहीं है, बल्कि खारीज योग्य हैं। उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र के सेविक पद हेतु 6 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया, जिसके मुताविक मेधा सूची बनाया गया। मेधा क्रमांक– 2, 4 एंव 6 की अभ्यर्थी पोषक क्षेत्र से बाहर की है तथा केन्द्र वार्ड नं0–6 में अवस्थित है व रीता कुमारी, जुली कुमारी वो पूनम कुमारी पोषक क्षेत्र की है। किन्तु आवेदिका का यह कहना बिल्कुल गलत है कि विपक्षी संख्या– 1 पिछड़ा वर्ग की है, जबकि सत्य यह है कि विपक्षी संख्या– 1 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की है जो तथ्य मेधा सूची के अवलोकन से भी स्पष्ट होगा। चूँकि मेधा सूची के कॉलम 05 के अवलोकन से भी स्पष्ट होगा में जाति वर्णित है तथा जाति प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है। इस प्रकार आवेदिका द्वारा गलत बयानबाजी किया गया है, जो खारीज योग्य हैं। प्रतिपक्षी ने कण्डिका 4, 5 एवं 6 के संदर्भ में कहा है कि मार्गदर्शिका के मुताविक दिनांक– 12.1.2013 को सेविका पद के चयन हेतु आम सभा का आयोजन किया गया तथा सर्वप्रथम आम सभा द्वारा संधारित व अनुमोदित मैपिंग पंजी प्रदर्शित की गई तथा केन्द्र का वर्ग बाहुल्य अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया गया। चूँकि वर्ग बाहुल्य से एक भी अभ्यर्थी नहीं थी, इसलिए अपीलार्थी अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी थी, के आवेदन पर विचार किया गया। अपीलार्थी की सास राधा देवी वार्ड सदस्य है तथा खास चचेरी सास किरण देवी वर्त्तमान में उक्त पंचायत की निर्वाचित मुखिया है। रीता कुमारी के ससुर महेन्द्र राम तथा किरण देवी के पति नन्द किशोर राम सहोदर भाई है। मार्गदर्शिका की कण्डिका 4.8 में स्पष्ट निर्देश है कि महिला जन प्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी का चयन सेविका पद पर नहीं किया जाय। इस प्रकार आवेदिका के आवेदन को आम सभा द्वारा रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी की अपनी सास वार्ड सदस्या है व खास चचेरी सास पंचायत की मुखिया है, तथ्य को तोर–मरोड़ कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं। विपक्षी का चयन आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से किया गया है और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा साक्ष्यानुरूप सभी तथ्यों को देखकर सुनवाई पश्चात विपक्षी के चयन को सही पाकर अपीलार्थी के वाद को खारीज कर विपक्षी के चयन को सम्पुष्ट किया गया हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। चूँकि अपीलार्थी के सास का त्यागपत्र स्वीकृति किस स्तर से हुआ तथा मुखिया के पति व आवेदिका के श्वसुर के आपस में सहोदर भाई नहीं होने के संबंध में भी अपीलार्थी पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पायी।

अतः अपील अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।
13.9.17
जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

13.9.17
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 1397-2/ विधि, सहरसा, दिनांक 13-09-2017.

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
14.09.017 जिला विधि शाखा, सहरसा।